न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 05/2016

1. नानूराम पुत्र बन्नाराम मीणा, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम हिंगोनिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. रूडाराम पुत्र बन्नाराम मीणा, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम हिंगोनिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. गोपाल पुत्र बन्नाराम मीणा, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम हिंगोनिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
4. सीताराम पुत्र बन्नाराम मीणा, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम हिंगोनिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
5. कैलाश पुत्र बन्नाराम मीणा, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम हिंगोनिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स,

वनाम

1. धीरीदेवी पुत्री कल्याण मीणा, जाति–मीणा, निवासी– ग्राम हिंगोनिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. कानीदेवी पुत्री कल्याण मीणा, जाति–मीणा, निवासी– ग्राम हिंगोनिया, तहसील--फागी, जिला–जयपुर।
3. लाडादेवी उर्फ बरदी देवी, जाति–मीणा, निवासी– ग्राम हिंगोनिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
4. राजपाल पुत्र तीजा पत्नि गोविन्दाराम मीणा, निवासी–ग्राम लूनियावास, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार–फागी, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा दिनांक 03.07.2015 तहसीलदार, फागी, जिला–जयपुर नामान्तरकरण संख्या 212 ग्राम–हिंगोनिया)

उपस्थिति :–

1. श्री सत्यनारायण शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट्स की ओर सें।
2. श्री देवेन्द्र शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1, 2 एंव 3 की ओर से हाजिर आये वखक्त बहस अनुपस्थित रहे अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
3. रेस्पोडेन्ट् संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
4. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक : 28.08.2019

आराजी खसरा नं0 188 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के खातेदार ज्याना पत्नी स्व. श्री कल्याण, जाति–मीणा साकिन देह की फौती पर विरासत का नामान्तरकरण धींसी देवी, बरदी उर्फ लाडा देवी, कानी देवी पुत्रियां स्व0 श्री कल्याण हिस्सा 3/4 राजपाल पुत्र

Scanned by CamScanner

तीजा पत्नी श्री गोविन्दराम हिस्सा 1/4 निवासी-लुनियावास के नाम नामान्तरकरण संख्या 212 स्वीकार किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय-पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री सत्यनारायण शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि-विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट्स को न तो सुनवाई/साक्ष्य का नोटिस दिया गया और न ही प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया गया। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने की समस्त कार्यवाही बाला-बाला मनमाने तौर पर की गई है। अपीलान्ट्स कल्याण पुत्र गोविन्दा के पौत्र हैं। कल्याण की विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के पिता बन्नाराम के नाम नामान्तरकरण संख्या 5 दिनांक 15.06.1960 स्वीकार किया गया है कल्याण की पत्नी ज्याना देवी जोकि अपीलान्ट्स की दादी है और अपीलान्ट्स अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है इसके बावजूद भी पुरूष उत्तराधिकारी के नाम नामान्तरकरण स्वीकार करने के बजाय विवाहित पुत्रियों के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो अनुसूचित जनजाति के रीति-रिवाजों के विपरीत है। वादग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने से पूर्व न तो मौके की जांच की गई और न ही सजरा खानदान/वारिसान की जांच की गई। वादग्रस्त आराजी पर ज्याना देवी के अपीलान्ट्स वारिस होने के कारण अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 4 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जावे और अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा 03.07.2015 नामान्तरकरण संख्या 212 ग्राम-हिंगोनिया निरस्त फरमाई जावे और प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये जावे कि विरासत नामान्तरकरण अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः विधि अनुसार तस्दीक किया जावे।

विद्वान् पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि-विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। मृतक ज्याना देवी के सजरा खानदान की पूर्ण जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। यदि पूर्व में नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि/भूल हुई है और इसको चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं कराया गया है तो इसका आशय यह नहीं है कि पूर्व में की गई भूल व त्रुटि के आधार पर ही निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ राजस्व कारकूनान के द्वारा तथ्यों की जांच कर नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स निरस्त फरमायी जावे।

हमने उभय-पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का द्वारा मृतक के सजरा खानदान की जांच कर सजरा खानदान के आधार पर नामान्तरकरण भरकर पेश किया गया है जिसकी जांच गिरदावर हल्का द्वारा की गई है और इसके पश्चात ही सक्षम अधिकारी के द्वारा नामान्तरकरण को स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बन्नाराम को अथवा इसके पुत्रों को ज्याना देवी के सजरा खानदान में नहीं दर्शाया गया है। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री सत्यनारायण शर्मा ने वरवक्त बहस अपने कथन में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की माता तीजा

को मृतक की पुत्रिया होना स्वीकार किया है और पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध करते हो कि अपीलान्ट्स के पिता बन्नाराम मृतक ज्यानादेवी का जायन्दा पुत्र हो, पत्रावली पर ऐसे भी सद्भाविक/वैद्य दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध करते हो कि कानूनी रूप से मृतक ज्याना देवी का वारिस बन्नाराम है और अपीलान्ट्स, बन्नाराम के पुत्र होने से ज्याना देवी के वारिस है अलबत्ता यह निर्विवादित तथ्य है कि धीसीदेवी,कानीदेवी,लाडादेवी और तीजादेवी ज्यानादेवी की जायन्दा पुत्रिया है, तहसीलदार, फागी द्वारा प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं पाते है अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 3.7.2015 नामान्तरकरण संख्या 212 ग्राम हिगोंनिया यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है ।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner